08/01/21

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-88/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

बुधन स्वांसी बनाम बिलासी देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	बुधन स्वांसी पिता–स्व० भीम स्वांसी, ग्राम–तिरीलडीह, पो०–बारूहातु, थाना–बुंडू, जिला–राँची, जाति–स्वांसी, पेशा–खेतीबारी।
क्रेता का नाम एवं पता –	बिलासी देवी पति–स्व० चन्द्रमोहन स्वांसी, ग्राम–कठहर टोली बुंडू, पो०–बुंडू, थाना–बुंडू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–स्वांसी, पेशा–खेतीबारी, गृहणी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री आनन्द राम महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–31/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता बिलासी देवी पति–स्व० चन्द्रमोहन स्वांसी, ग्राम–कठहर टोली बुंडू, पो०–बुंडू, थाना–बुंडू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–स्वांसी, पेशा–खेतीबारी, गृहणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तिरिलडीह	बुन्डू/50	18	207	28 डी० चौहद्दी:– उ०–सुखलाल मुण्डा। द०–भोला मुण्डा। पू०–आरानदी। प०–नीज।
			208	52 डी० चौहद्दी:– उ०–धनन्जय मुण्डा।

				द०—लाबरा पाहान। पू०—नीज। प०—नीज।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक—747 दिनांक—31/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :—

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत चामु स्वांसी पे०—वरीशा स्वांसी जाति स्वांसी व सुखराम स्वांसी, कुफान स्वांसी पे० वरीशा स्वांसी के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी—II रैयत के पोता है।

(3) पंजी—II के अनुसार रैयत का नाम भीम स्वांसी है। तथा रैयत के पास प्रस्तावित खाता में रकबा—2.20 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2019—20 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन रैयती किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास लगभग रकबा—3.67 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने एवं ऋण चुकाने हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो स्वांसी (अनुसूचित जाति) जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना बुण्डू के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46(i)b के तहत विक्रेता बुधन स्वांसी पिता—स्व० भीम स्वांसी, ग्राम—तिरीलडीह, पो०—बारूहातु, थाना—बुंडू, जिला—राँची, जाति—स्वांसी, पेशा—खेतीबारी, को क्रेता बिलासी देवी पति—स्व० चन्द्रमोहन स्वांसी, ग्राम—कठहर टोली बुंडू, पो०—बुंडू, थाना—बुंडू, जिला—राँची, झारखण्ड, जाति—स्वांसी, पेशा—खेतीबारी, गृहणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक—31/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता बुधन स्वांसी पिता—स्व० भीम स्वांसी, ग्राम—तिरीलडीह, पो०—बारूहातु, थाना—बुंडू, जिला—राँची, जाति—स्वांसी, पेशा—खेतीबारी, को क्रेता बिलासी देवी पति—स्व०

चन्द्रमोहन स्वांसी, ग्राम–कठहर टोली बुंडू, पो०–बुंडू, थाना–बुंडू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–स्वांसी, पेशा–खेतीबारी, गृहणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तिरिलडीह	बुन्डू/50	18	207	28 डी० चौहद्दी:– उ०–सुखलाल मुण्डा। द०–भोला मुण्डा। पू०–आरानदी। प०–नीज।
			208	52 डी० चौहद्दी:– उ०–धनन्जय मुण्डा। द०–लाबरा पाहान। पू०–नीज। प०–नीज।

लेखापित एवं संशोधित।

8/08/01

भूमि सुधार उप समाहत्ता।
बुण्डू।

8-08/01

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।